

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 168/2025 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

1. मुन्शीखॉ उर्फ मुन्सफ अली पुत्र सराजदीन जाति मुस्लमान निवासी साबुआना निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. बरकत अली पुत्र सराजदीन जाति मुस्लमान निवासी साबुआना निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. रमजानखान पुत्र सिराजदीन जाति मुस्लमान निवासी साबुआना निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. उसमान अली पुत्र सराजदीन जाति मुस्लमान निवासी साबुआना निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. असकरअली पुत्र सराजदीन जाति मुस्लमान निवासी साबुआना निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. साबरअली पुत्र सराजदीन जाति मुस्लमान निवासी साबुआना निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. जाबरअली पुत्र सराजदीन जाति मुस्लमान निवासी साबुआना निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

—प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री अर्जनलाल वर्मा वकील—वादीगण

राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक— 25.4.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील श्री अर्जनलाल वर्मा वकील वादीगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी संख्या 1 के नाम दर्ज ग्राम रामकां के खसरा नम्बर 997 की 0.7590 बारानी व खसरा नम्बर 998 की 5.4400 बारानी कुल 6.1990 बारानी भूमि में से वादी सं. 6 को 3.036 है. बारानी भूमि का व वादी सं. 2, 7 को ब हिस्सा बराबर 3.163 बारानी भूमि के खातेदार काश्तकार,
2. वादी संख्या 2 के नाम दर्ज ग्राम मलकासर के खसरा नम्बर 126 की 5.3130 बारानी, खसरा नम्बर 145 की 0.1520 बारानी कुल 5.4650 है. बारानी भूमि के वादी सं. 3 व 4 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार,
3. वादी संख्या 3 रमजान व वादी संख्या 4 उसमान खां के नाम दर्ज ग्राम रामकां के खसरा नम्बर 1582/813 की 1.4330 बारानी, खसरा नम्बर 1583/813 की 12.2040 बारानी, खसरा नम्बर 812/1 की 0.6700 बारानी कुल 14.3070 बारानी में से वादी सं. 5 असकरअली को 3.542 है. भूमि का व शेष भूमि के वादी सं. 3 व 4 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार,



Om
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

4. ग्राम पोहड़का बारानी के खाता संख्या 502/405 की 14.1680 बारानी भूमि में से वादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 6 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी सं. 2 व 7 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.4.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक अधीक्षक
सुपरसेवत अधिकारी
राजसम